

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की आपराधिक विविध संख्या 30307

थाना कांड सं.- 17 वर्ष- 2017 थाना- सी.बी.आई. केस जिला- पटना से उत्पन्न

=====

शशि शेखर, पिता- स्वर्गीय प्रियवर्त कुमार वर्मा, निवासी- फ्लैट सं. 506, महाराजा कामेश्वर,
आवासीय परिसर, फ्रेजर रोड, थाना- कोतवाली, जिला- पटना-800001

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

पुलिस उप महानिरीक्षक, ए.सी.बी. के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री एस.के. श्रीवास्तव

श्री अपूर्व हर्ष

श्री मनु त्रिपुरारि

सुश्री शुभी श्रीवास्तव

श्री रघु राज प्रताप

श्री गौरव शर्मा

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अवनीश कुमार सिंह

श्री अम्बर नारायण

सुश्री बरखा

श्री मुकुल कुमार सिंह

=====

आपराधिक कानून - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - धारा 482 सीआरपीसी का दायरा - धारा 482 सीआरपीसी के दायरे पर चर्चा (पैरा-31) - अदालतों को आरोपों की विश्वसनीयता का आकलन या सावधानीपूर्वक जांच नहीं करनी चाहिए, जब तक कि मामला तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण न हो। (पैरा-33)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम - रिश्त की मांग और स्वीकृति - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13(2) और 13(1)(डी) के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में - अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का सबूत आवश्यक है। (पैरा-18)

याचिकाकर्ता का दावा है कि रिश्त की मांग या स्वीकृति का कोई प्रत्यक्ष सबूत मौजूद नहीं है, परीक्षण में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितिजन्य और फोरेंसिक साक्ष्य (रिकॉर्ड की गई बातचीत सहित) दोषसिद्धि स्थापित कर सकते हैं। (पैरा-39)

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता - इंटरसेप्टेड कॉल और गोपनीयता का अधिकार - सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि टेलीफोन इंटरसेप्शन, भले ही अवैध रूप से प्राप्त किए गए हों, मामले के लिए प्रासंगिक होने पर सबूत के रूप में अभी भी स्वीकार्य हो सकते हैं। (पैरा-41)

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकती है। (पैरा-42)

निर्णय - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि सीबीआई की जांच और आरोप पत्र ने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री का खुलासा किया। (पैरा-47) - याचिकाकर्ता को मुकदमे में आरोपों का मुकाबला करने का निर्देश दिया गया, जहां इंटरसेप्टेड कॉल और वित्तीय लेनदेन सहित सबूतों का मूल्यांकन किया जाएगा। (पैरा-48)

(संदर्भित मामले: नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2023) 2 एससीसी 731 (पैरा-13), आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, एआईआर 1986 एससी 2045 (पैरा 13),

के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एससीसी 1 (पैरा 17), - हरियाणा राज्य
बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335 (पैरा 31)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

निर्णय और आदेश

सी.ए.वी.

दिनांक: 07-03-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और केंद्रीय जांच ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह आवेदन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 7, 12, 13 (2) के तहत पंजीकृत विशेष मामला संख्या 03/2017 [आरसी संख्या 15 (ए) / 2017] की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. इस मामले के अभिलेखों से अभियोजन का मामला निम्नानुसार है:

4. 23.08.2017 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसीबी, पटना में तीन आरोपियों शशि शेखर (याचिकाकर्ता), राज कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट, आरसी 0232017 ए 0015 दर्ज की गई थी।

5. याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहते हुए मेसर्स सेट स्क्वायर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के राज कुमार अग्रवाल के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विभिन्न व्यक्तियों से अवैध रिश्त तली और अवैध रूप से 10 लाख रुपये से अधिक की राशि एकत्र की, जिसे बाद में वैध आय की आड़ में वापस लेने के उद्देश्य से सह-आरोपी राज कुमार अग्रवाल नामक व्यवसायी के पास रखा गया था।

6. यह भी आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त आपराधिक षडयंत्र के तहत याचिकाकर्ता ने राज कुमार अग्रवाल से अवैध रिश्त की राशि, जो उसके पास जमा थी तथा राज कुमार अग्रवाल के पास रखी थी, की मांग की, जिसे दिलीप कुमार अग्रवाल, जो राज कुमार अग्रवाल का भतीजा तथा प्रतिनिधि है, के माध्यम से कुछ खाली चेकों के साथ पटना या किसी अन्य स्थान पर याचिकाकर्ता के कार्यालय में पहुंचाया जाना था।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, सूत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों और दो अन्य स्वतंत्र गवाहों की एक ट्रेप टीम गठित की गई और सभी को सूचित किया गया कि शशि शेखर गो एयर की फ्लाइट संख्या G8-131 से पटना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और 23.08.2017 को दोपहर 02:10 बजे पटना उतरेंगे और पटना पहुंचने के बाद उन्हें बैंक रोड, पटना स्थित अपने कार्यालय जाना था। इसके बाद, वे फ्लैट संख्या 506, महाराजा कामेश्वर आवासीय परिसर, फ्रेजर रोड, पटना स्थित अपने आवास पर जाएंगे।

8. उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रेप टीम पटना एयरपोर्ट के निकास द्वार पर गुप्त रूप से प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर बाद याचिकाकर्ता लाल ट्रॉली बैग के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया और वह हुंडई आई 10 कार में सवार होकर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। ट्रेप टीम ने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। याचिकाकर्ता अपने कार्यालय पहुंचा और अंदर चला गया और कुछ देर बाद वह अपने कार्यालय से बाहर आया और मारुति वैगनआर कार

में सवार होकर अपने आवासीय फ्लैट में पहुंच गया। याचिकाकर्ता कार से बाहर आया और अपने आवासीय फ्लैट के अंदर चला गया। ट्रैप टीम याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर के बाहर इंतजार कर रही थी और कुछ देर बाद एक व्यक्ति, जिसका चेहरा सूत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए दिलीप कुमार अग्रवाल के फोटो से मिलता-जुलता था, कॉफी रंग की हॉंडा एक्टिवा स्कूटी पर एक सफेद पॉलीथिन बैग लेकर पहुंचा और वह आवासीय परिसर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दिलीप कुमार अग्रवाल आवासीय परिसर से बाहर आया और अपनी स्कूटी स्टार्ट की। उसी समय, ट्रैप टीम के एक सदस्य, नितेश कुमार, टीएलओ ने उसे रोक लिया और उसकी पहचान का खुलासा करने के बाद, स्वतंत्र गवाहों के सामने उससे पूछताछ की और इस तरह की पूछताछ में, उसने अपना नाम दिलीप कुमार अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय सावन मल अग्रवाल, मेसर्स न्यू दिलीप एंड कंपनी के मालिक, लंगर टोली, पटना के रूप में बताया। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने मामा राज कुमार अग्रवाल, जो कोलकाता में रहते हैं, के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता को एक लिफाफा सौंपने के लिए आवासीय परिसर के अंदर गए थे। उन्होंने आगे बताया कि उनके मामा के निर्देशानुसार, इससे पहले एक व्यक्ति ने उन्हें दोपहर करीब 01 बजे एक लिफाफा सौंपा था, जिसे याचिकाकर्ता तक पहुंचाना था।

9. इसके बाद, दिलीप कुमार अग्रवाल के साथ ट्रैप टीम याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर में दाखिल हुई और दरवाजे की घंटी बजाई गई और याचिकाकर्ता ने दरवाजा खोला। टीएलओ नितेश कुमार ने अपनी पहचान बताते हुए याचिकाकर्ता को बताया कि उसने दिलीप कुमार अग्रवाल से 10,00,000/- रुपये की डिलीवरी ली है, जिस पर वह चुप रहे। याचिकाकर्ता द्वारा एयरपोर्ट से लाए गए लाल ट्रॉली बैग और एक अन्य काले रंग के बैग की तलाशी ली गई और 10,00,000/- रुपये की रकम बरामद की गई। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में 6,60,000/- रुपये बरामद किए गए। याचिकाकर्ता के फ्लैट के बेडरूम की भी तलाशी ली गई, जहां से 4,40,000/- रुपये बरामद किए गए। इस राशि के अलावा

1,28,800/- रुपये भी बरामद किए गए। इस प्रकार याचिकाकर्ता के फ्लैट से कुल 12,28,800/- रुपये बरामद किए गए।

10. याचिकाकर्ता के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने पर याचिकाकर्ता से पूछताछ की गई और याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने दिलीप कुमार अग्रवाल से 3,00,000/- रुपये प्राप्त किए थे, जो उसने कटिहार में अपने घर की मरम्मत के लिए उसे दिए थे, जिसे वह नहीं कर सका, इसलिए उसने राशि वापस कर दी है, लेकिन दिलीप कुमार अग्रवाल ने याचिकाकर्ता को पहले से जानने से इनकार किया। याचिकाकर्ता से पुनः लगातार पूछताछ की गई और उसने स्वीकार किया कि 11,00,000/- रुपए की राशि दिलीप कुमार अग्रवाल ने उसे पहुंचाई थी। इसके पश्चात याचिकाकर्ता और दिलीप कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

11. जांच पूरी होने पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 1988 अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11, 13 (2) और 13(1)(डी) के अंतर्गत मामला सत्य पाते हुए दिनांक 20.10.2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान भी लिया गया।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दाखिल आरोप पत्र के अवलोकन से याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1988 अधिनियम की धारा 11 और 13(1)(डी) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि पूरा आरोप पत्र राज कुमार अग्रवाल के इकबालिया बयान पर आधारित है। हालांकि, उक्त बयान किसी अन्य पुष्टिकारक बयान द्वारा समर्थित नहीं है। आरोप पत्र में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं पेश किया गया है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने अवैध रिश्त की कोई मांग की थी या ऐसी किसी मांग को स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले पर बिना सच्चाई या अन्यथा विचार किए, किसी लोक सेवक द्वारा अवैध रिश्त की मांग और स्वीकृति

के किसी सबूत के अभाव में, 1988 अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि आरोप पत्र के अवलोकन के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ 1988 अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और केंद्रीय जांच ब्यूरो यह पता लगाने में विफल रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे याचिकाकर्ता ने मूल्यवान चीजें प्राप्त की हैं। इसके अलावा, दूसरा भाग, जो कहता है कि बिना किसी प्रतिफल के मूल्यवान चीज को स्वीकार या प्राप्त करना, भी पूरा नहीं हुआ है।

13. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट के नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसे मनु/एससी/1617/2022:2022:आईएनएससी:1280:2023 2 एससीसी 731 और आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले और अन्य (ए आई आर 1986 2045) में रिपोर्ट किए गए हैं।

14. उन्होंने आगे कहा कि एक वाद के लिए केवल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ही कायम रखने योग्य है और चूंकि धारा 13 (1) (ई) अर्थात् आय से अधिक संपत्ति के तहत अपराधों का खुलासा करने वाली एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही पंजीकृत की जा चुकी है, इसलिए अधिनियम 1988 की धारा 7, 12, 13 (2) के साथ 13 (1) (डी) के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है।

15. उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत, जिसके द्वारा अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करना चाहता है, कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1995 के नियम 419 ए के तहत निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं का केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पालन नहीं किया गया है।

16. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम भारत संघ और अन्य के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसे (1997) 1 एससीसी 301 में रिपोर्ट किया गया था और रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य, जिसे 2019 (8) एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किया गया था।

17. यह आगे तर्क दिया गया है कि टेलीफोन वार्तालाप की अवैध टैपिंग गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे अब, के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में, जिसे (2017) 10 एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किया गया है में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार और सुदृढ़ किया गया है।

18. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ 1988 अधिनियम की धारा 7, 12, 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत हैं, लेकिन 1988 अधिनियम की धारा 7 और 12 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों को हटा दिया गया है। आरोप पत्र में। आरोप पत्र में आरोपित अपराध धारा 11, 13(1)(डी) और 13(2) के अंतर्गत हैं, 1988 अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आरोप आरोप पत्र में जोड़े गए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 1988 अधिनियम की धारा 7 और 12 के अंतर्गत आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई साक्ष्य न पाए जाने पर हटा दिए गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 1988 अधिनियम की धारा 7 और 12 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित आरोपों को हटाने के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को स्वीकार किया और आरोप पत्र दायर किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद शेष अभियुक्तों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 169 के अंतर्गत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई तथा याचिकाकर्ता अब एकमात्र अभियुक्त हैं जिस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी रिश्त लेने, किसी भी रिश्त की मांग करने या किसी भी रिश्त को स्वीकार

करने का कोई आरोप नहीं है। अपराध का कोई तथ्य या गवाह नहीं है, अपराध का कोई शिकायतकर्ता नहीं है, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा जिरह की जा सके।

19. वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता सहायक निदेशक के पद पर पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित था और दिनांक 21.08.2017 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने उसे पटना हवाई अड्डे पर रोका, जहां वह दिल्ली से आया था और उसे अपने साथ पटना स्थित अपने कार्यालय में आने का निर्देश दिया, जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उक्त कार्यालय की तलाशी ली गई और उसके बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उसे पटना स्थित उसके आवास पर ले गया, जहां उसके पास 12,28,800/- रुपए पाए गए, जो कथित रूप से राज कुमार अग्रवाल से प्राप्त अवैध रिश्त की राशि थी, जिसे दिलीप कुमार अग्रवाल ने उसे सौंपा था, जिसके बारे में आरोप है कि वह 11,00,000/- रुपए की राशि लेकर याचिकाकर्ता के पटना स्थित आवास पर आया था।

20. याचिकाकर्ता को 23.08.2017 को डीआईजी, सीबीआई, एसीबी, पटना के कार्यालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि 24.08.2017 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर सीबीआई के गिरफ्तारी ज्ञापन में दर्ज किया गया था, जिसमें स्वीकार किया गया था कि हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो का मामला एक ट्रैप केस था और याचिकाकर्ता पर राज कुमार अग्रवाल की ओर से दिलीप कुमार अग्रवाल से 11,00,000/- रुपये की अवैध रिश्त प्राप्त करने का आरोप था, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसे 21.08.2017 को दिलीप कुमार अग्रवाल से कथित अवैध रिश्त प्राप्त करते समय गिरफ्तार किया और जब दिलीप कुमार अग्रवाल को 21.08.2017 को सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ता को उनके आवास पर कथित अवैध रिश्त की राशि पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

21. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता पर रिश्त लेने वाला तथा दो अन्य व्यक्तियों अर्थात् राज कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार

अग्रवाल पर रिश्त देने का आरोप लगाया गया है, लेकिन जांच के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने याचिकाकर्ता द्वारा कथित रिश्त की मांग और प्राप्ति तथा राज कुमार अग्रवाल द्वारा उसका भुगतान और दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा उसे वितरित करने के पूरे मामले को खारिज कर दिया है तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ 1988 अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत आरोपों को खारिज कर दिया है तथा 1988 अधिनियम की धारा 11, 13(2) और 13(1)(डी) को आरोपित किया है। 1988 अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत अपराध को आरोपित नहीं किया जा सकता है, यदि 1988 अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के तत्व वहां मौजूद नहीं हैं।

22. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने माना है कि याचिकाकर्ता द्वारा अवैध रिश्त की मांग या उसे प्राप्त करने और/या किसी भी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश का कोई मामला नहीं है। याचिकाकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपराध के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं था क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने आरोप पत्र में 1988 अधिनियम की धारा 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी को हटा दिया है। इस प्रकार, एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है, वह है कि यदि याचिकाकर्ता पर 1988 अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत कोई अपराध आरोपित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ 1988 अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई अपराध आरोपित किया जा सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 1988 अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 11 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और आपराधिक कार्यवाही और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देना न्याय की विफलता और न्याय प्रशासन की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

23. दूसरी ओर, केंद्रीय जांच ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय, पटना में सहायक निदेशक होने के नाते, एक

लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके सबसे पहले रुपये जमा किए। राज कुमार अग्रवाल, एक व्यवसायी, के साथ अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक मकसद या इनाम के रूप में विभिन्न व्यक्तियों से अवैध रूप से प्राप्त करने और स्वीकार करने के द्वारा 11,65,000/- रुपये की ठगी की, जिसका मकसद बाद में वैध आय की आड़ में वापस लेना था और बाद में उससे 10,00,000/- रुपये और कुछ चेक मांगे, उस पैसे में से जिसे ट्रैप टीम ने 23.08.2017 को याचिकाकर्ता के फ्लैट से 12,28,800/- रुपये के रूप में विधिवत बरामद किया था। यह भी स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता ने राज कुमार अग्रवाल से बिना किसी विचार के बड़ी नकद राशि प्राप्त की, जो उसका कानूनी पारिश्रमिक नहीं था, जिसके साथ वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत एक मामले में कार्यवाही और कानूनी औपचारिकताओं से संबंधित था। रुपये प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता का कार्य। 10,00,000/- और खाली चेक, जो बाद में उन्होंने अपने भतीजे दिलीप कुमार अग्रवाल के माध्यम से राज कुमार अग्रवाल से 11,00,000/- रुपये के रूप में प्राप्त किए और समय के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पांच खाली चेकों की बरामदगी, जो उन्हें वितरित किए जाने के इरादे से भेजे गए थे, एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को उचित रूप से स्थापित करता है। इसके अलावा राज कुमार अग्रवाल, जो प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता में अपनी नियुक्ति के समय फेरा मामले में आरोपियों में से एक हैं, के माध्यम से इतनी बड़ी राशि का निपटान करना स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की ओर से बेईमानी का कार्य दिखाता है जो एक लोक सेवक के लिए अनुचित है।

24. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, राज कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार अग्रवाल के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत से स्पष्ट रूप से पता चला है कि याचिकाकर्ता ने 10,00,000/- रुपये नकद और 10000-12000 रुपये के दस चेक मांगे थे। .

25. जांच में यह भी पता चला कि दिलीप कुमार अग्रवाल ने ट्रैप के दिन राज कुमार अग्रवाल के निर्देश पर याचिकाकर्ता को 11,00,000/- रुपए सौंपे। जांच के दौरान दिलीप कुमार अग्रवाल का बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने ट्रैप के दिन अपने मामा राज कुमार अग्रवाल के निर्देश पर याचिकाकर्ता को 11,00,000/- रुपए सौंपने की बात स्वीकार की और उन्होंने याचिकाकर्ता से पहले से कोई परिचय होने से साफ इनकार किया। उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि दिलीप कुमार अग्रवाल को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकरण में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी।

26. जांच के दौरान, याचिकाकर्ता और राज कुमार अग्रवाल की आवाज का नमूना प्राप्त किया गया और विशेष इकाई, नई दिल्ली द्वारा रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत के साथ तुलना करने के लिए सीएफएसएल, नई दिल्ली को भेजा गया। सीएफएसएल, नई दिल्ली से प्रमाण पत्र संख्या टीसी-5846 दिनांक 02.01.2019 के अनुसार फॉरेंसिक आवाज जांच रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज कुमार अग्रवाल और दिलीप कुमार अग्रवाल की प्रश्नगत आवाज के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी।

27. चूंकि उपरोक्त कृत्यों से याचिकाकर्ता द्वारा 1988 अधिनियम की धारा 11 और धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध का खुलासा हुआ है, तदनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून की उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

28. याचिकाकर्ता ने प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता में 1994 में दर्ज फेरा मामले की कार्यवाही और कानूनी औपचारिकताओं से संबंधित किसी भी व्यक्ति के बारे में विचार किए बिना राज कुमार अग्रवाल से गलत तरीके से अर्जित राशि वापस ले ली, जहां आरोपी उस अवधि के दौरान सहायक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तैनात था। इसके अलावा, राज कुमार अग्रवाल से उक्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से स्पष्ट प्रयास किए

गए हैं, जिसमें गलत तरीके से अर्जित धन को पार्क करने के लिए कोलकाता जाना और राज कुमार अग्रवाल से धन और चेक की मांग करना और अंत में दिलीप कुमार अग्रवाल से इसे स्वीकार करना शामिल है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हैं। संज्ञान भी लिया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

29. अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने देवेंद्र नाथ पाढ़ी बनाम ओडिशा राज्य, (2005) 1 एससीसी 568 में रिपोर्ट किए गए, सीबीआई बनाम आर्यन सिंह, 2023 एससीसी ऑनलाइन (एससी) 379 में रिपोर्ट किए गए; पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एससीसी 398 में रिपोर्ट किए गए, बी. नोहा बनाम केरल राज्य, (2006) 12 एससीसी 277 में रिपोर्ट किए गए, फर्टिको मार्केटिंग और अन्य बनाम सीबीआई, (2021) 2 एससीसी 525 में रिपोर्ट किए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

30. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है।

31. सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के दायरे और दायरे पर विस्तृत चर्चा की है, जिसकी शुरुआत आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1960 एससी 866], हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल और अन्य, 1992 सप (1) एससीसी 335 और विभिन्न अन्य निर्णयों में की गई है।

32. सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 और/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय व्यापक रूप से दिशा-निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 और/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय व्यापक मापदंड यह है कि निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना की जांच करते समय न तो विस्तृत

जांच की आवश्यकता है, न ही सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और न ही शिकायत में आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता का कोई आकलन। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण जांच करे या जांच एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की सराहना करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का मामला है।

33. हालांकि, निरस्तीकरण की शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने या विफल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। शक्ति का उपयोग संयम से और बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत या वास्तव में आरोप पत्र में भी आरोपित अपराध के कानूनी तत्वों को शब्दशः पुनरुत्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शिकायत में आवश्यक तथ्यात्मक आधार रखा गया है, तो केवल इस आधार पर कि कुछ तत्वों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है, कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना केवल तभी उचित है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत या जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य मूल तथ्यों से भी वंचित हों, जो अपराध को साबित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।

34. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह मामला विश्वसनीय स्रोत की जानकारी पर आधारित एक जालसाजी का मामला है। आरोप पत्र में 24 गवाहों की सूची है, जिनकी याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की जानी प्रस्तावित है। यह एक ऐसा मामला है जहां आरोप पत्र जांच के बाद दायर किया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया है।

35. याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में नीरज दत्ता (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया है।

36. सी. के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार के मामले में, (1997) 9 एससीसी 477 में रिपोर्ट की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने "प्राप्त करना" शब्द पर विचार किया है और

कहा है कि "प्राप्त करना" का अर्थ अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप (कुछ) सुरक्षित करना या प्राप्त करना है। प्राप्ति के मामले में, पहल उस व्यक्ति में निहित है जो प्राप्त करता है और, उस संदर्भ में, उससे एक मांग या अनुरोध धारा 5 (1) (डी), अब धारा 13 (1) (डी) 1988 अधिनियम के तहत अपराध के लिए प्राथमिक आवश्यकता होगी।

37. नीरज दत्ता (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि कोई लोक सेवक कोई मांग करता है और रिश्त देने वाला मांग स्वीकार करता है और मांगी गई रिश्त देता है, जो बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्ति का मामला है। प्राप्ति के मामले में, अवैध परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक से उत्पन्न होती है।

38. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए, नीरज दत्ता (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मांग के सबूत के बिना, 1988 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के तत्वों की अनुपस्थिति में, 1988 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य (प्रत्यक्ष/प्राथमिक, मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य) के अभाव में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 7 और धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत लोक सेवक की दोषसिद्धि/दोष का अनुमान लगाना अनुमेय है। इसके अलावा, मुद्दे में तथ्य, यानी अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का सबूत, प्रत्यक्ष, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

39. वर्तमान मामले में, ऐसा ही एक सबूत, जो आरोप पत्र के माध्यम से लाया गया है, वह है रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने राज कुमार अग्रवाल से 10,00,000 रुपये नकद और 10,000-12,000 रुपये के दस चेक मांगे थे।

40. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सहमति के बिना रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने टेलीग्राफ के अवरोधन के आधार पर ट्रेप मामले के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है और अवरोधित टेलीग्राफिक सामग्री पर भरोसा कर रहा है, लेकिन इसने टेलीग्राफ के अवरोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1956 के नियम 419 ए के प्रावधानों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है, जिसके बिना अवरोधित टेलीग्राफिक सामग्री साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और ऐसी टेलीग्राफिक सामग्री के आधार पर सभी कार्रवाई रद्द करने योग्य है।

41. राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू के मामले में, जो कि (2005) 11 एससीसी 600 में रिपोर्ट की गई, टेलीफोनिक बातचीत के संदर्भ में इंटरसेप्ट किए गए टेलीफोन कॉल की वैधता और स्वीकार्यता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न उठा, सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) या नियम 419-ए साक्ष्य के किसी नियम से संबंधित नहीं है। यह माना गया है कि टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन या अपर्याप्त अनुपालन स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है। अवैध रूप से एकत्रित या प्राप्त टेप-रिकॉर्डेड बातचीत की स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में *कानूनी स्थिति* अब नई नहीं रह गई है, आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, जो कि (1973) 1 एससीसी 471 में रिपोर्ट की गई। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत *रेस गेस्टे* के रूप में स्वीकार्य है। कानून में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी साक्ष्य को अदालत द्वारा इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसे अवैध रूप से प्राप्त किया गया था।

42. के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, जो कि (2017) 10 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "गोपनीयता के अधिकार" के कई पहलू हैं और हालांकि इस तरह के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और (डी) और अनुच्छेद 21 से निकलने वाले मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, फिर भी यह निरपेक्ष नहीं है, और यह हमेशा सामाजिक, नैतिक और सार्वजनिक हित के आधार पर कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है और जब कोई नागरिक कानून की अदालत में इस तरह के किसी अधिकार का दावा करता है, तो उसे मामले-दर-मामला विकास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

43. फिर भी, यह पूरी तरह से एक अलग मामला है जहां इस तरह के सबूत स्वीकार्य हैं या नहीं, जिसकी जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जाएगी।

44. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत कार्यवाही में, न्यायालय के लिए यह वांछनीय नहीं है कि वह पूर्ण जांच करे या जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की सराहना करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामला दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होगा। याचिका को रद्द करने के लिए निर्णय लेने के समय, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए और आरोपों की सत्यता नहीं देखी जानी चाहिए। विद्वान सी.बी.आई. न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है।

45. प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों से कोई अपराध नहीं बनता है।

46. प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र में शामिल आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और विद्वान विशेष न्यायालय, सीबीआई ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का सही संज्ञान लिया है।

47. ऊपर चर्चा किए गए और देखे गए तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि जांच और संज्ञान लेने का आदेश इतना गलत नहीं है कि मुकदमे को आगे बढ़ने देने से न्याय में चूक हो सकती है। परिणामस्वरूप, मुझे इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती।

48. तदनुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

49. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।